

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या= 9 / उपांकीट०अनु०-42 / 2009-

/ कृ०, पटना, दिनांकअगस्त, 2015

प्रेषक :

बी० कार्तिकेय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

शहनवाज शकील,
मेसर्स एग्रीमास केमिकल्स लि०,
द्वारा—श्री आलोक बोहरा, H/O—डा० विपिन बिहारी,
(संतोष अपार्टमेन्ट के सामने) बन्दर बगीचा,
डाक बंगला रोड, पटना—1

विषय :- “**कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या—19—20 दिनांक 29.10.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों एवं सहायक निदेशक, पौ०स०, सर्वेलेन्स मुख्यालय, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के निहित प्रावधानों के तहत निम्नलिखित सूची अनुसार कीटनाशियों का उनके विर्निमाण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के वैद्यता तिथि के आलोक में अनुज्ञप्ति संख्या 19—20 दिनांक 29.10.2009 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण एवं 5 नये कीटनाशियों का इन्डोर्समेन्ट दिनांक 31.12.2015 तक के लिए किया जाता है।

कम्पनी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
मेसर्स एग्रीमास केमिकल्स लि०,	1	Acetamiprid 20% SP
	2	Carbendazim 50% WP
	3	Chlorpyriphos 50%+Cyper 5% EC
	4	Carbendazim 12%+Mancozeb 63% WP
	5	Glyphosate 41% SL
	6	Hexaconazole 5% EC
	7	Lambda Cyhalothrin 5% EC
	8	Mancozeb 75% WP
	9	Paraquat Dichloride 24% SL
	10	Propiconazole 25% EC
	11	Pendimethalin 30% EC
	12	Triazophos 40% EC
	13	Pritilachlor 50% EC
	14	Hexaconazole 5% SC
	15	Indoxacarb 14.5% SC
	16	Propineb 70% WP
	17	Profenophos 50% EC
	18	Tricyclazole 75% WP
	19	Metsulfuron Methyl 20% WP
	20	Cartap Hydrochloride 50% SP
	21	Imidacloprid 17.8% SL
	22	Imidacloprid 70% WS
	23	Validamycin 3% L
	24	Dicofol 18.5 % EC
	25	Cartap Hydrochloride 4 G
	26	Sulfosulfuron 75% WG
	27	Cypermethrin 25% EC
	28	2,4-D Ethyl Ester 38% EC
	29	Thiophanate Methyl 70% WP
	30	Fipronil 0.3% GR
	31	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG
	32	Oxyfluorfen 23.5% EC
	33	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC
	34	Cymoxanil 8%+Mancozeb 64% WP

इसके अतिरिक्त 5 नये कीटनाशियों का इन्डोर्समेन्ट किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Atrazine 50% W.P
2	Metribuzin 70% W.P.
3	Sulphur 80% WDG
4	Thiamethozam 25% WG
5	Clodinafop-Propargyl 15% WP

2—उपरोक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा—मेसर्स एग्रीमास केमिकल्स लिं. द्वारा श्रीमति कृति कुमारी, पत्नी श्री प्रदीप कुमार, बड़ी पहाड़ी गाँव, पटना—7

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भण्डारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4—अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भण्डारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भण्डारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

7—भारत सरकार से प्रतिबंधित कीटनाशी का बिक्री/भण्डारण सर्वथा वर्जित है।

8—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

9—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्री प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

10—मूल अनुज्ञाप्ति संख्या 19—20 दिनांक 29.10.2009 इसके साथ संलग्न है। कृपया पाप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

४०/—

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

५२५२

/कृ०, पटना, दिनांक ३। अगस्त, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शब्द) उपादान बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।